सं0-2443/62-2-2016-2/3(28)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 03 नवम्बर,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-81 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-33.33 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-485/ल0सि0/बजट-के0एस0वाई0/एस0सी0एस0पी0/2016-17,दिनांक-07.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-81 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-57.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0-20.00 लाख के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश की धनराशि रू0- 13.33 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-33.33 लाख को राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक्रति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions की योजना पर व्यय हेतु है।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।
3- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-1868/62-2-2016,दिनांक-04.07.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा'-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किशतो में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5- अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।
6- आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।
7- यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।
8- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94,दिनांक-06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9- अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रो में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाये।

1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की	05 तारीख तक
2- प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15-10-2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15-12-2016 तक
4- वर्ष 2016-17 के आंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5- आवंटन का समर्पण	

नोटः- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-796-अनुसूचित जाति क्षेत्र उप योजना-02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0201-पर ड्राप मोर क्राप (के.60/रा.40-के.रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2443(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।